

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी _____ मांगीलाल विपक्षी _____ मांगीलाल
 किसम मुकदमा _____ वाद _____ पत्रावली संख्या 111/18 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
16/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में तलवी में नियत है। वादी को तलवी हेतु लगभग 3 वर्ष से अधिक का समय दिया गया था परन्तु वादी द्वारा अब तक तलवी पेश नहीं की गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहा है। आज भी स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम लजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

